राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–680/2016/अजमेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय,वृत प्रतिकरापवंचन,भीलवाड़ा ....अपीलार्थी

बनाम

मै0 विद्यासागर एन्टर प्राईजेज,
कृषि मण्डी रोड़, हरी ऑयल मिल के पास,केकड़ी अजमेर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

श्री ओ.पी.माहेश्वरी,
अधिकृत प्रतिनिधि/सीए ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 09.08.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 127/वैट/14–15/अजमेर में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा उन्होने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय,वृत प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा (जिसे आगे **''कर निर्धारण अधिकारी''** कहा जायेगा) अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 कि (जिसे आगे **''अधिनियम''** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.10.2014 द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 27.09.2014 वाहन संख्या एम.पी.–44–एच.ए.–0852 को चित्तौड़ होटल सम्राट के पास भीलवाड़ा में चैक किया गया। वाहन में कपासिया पालनपुर गुजरात से केकड़ी अजमेर राजस्थान के लिये परिवहनित किया जा रहा था। जांच अधिकारी द्वारा माल से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने बिल्टी संख्या 131 दिनांक 26.09.2014, मै0 अंजनी ट्रेडर्स पालनपुर का इन्वॉयस संख्या 04 दिनांक 26.09.2014 व गुजा राज्य का घोषणा प्रपत्र 402 आदि दस्तावेज पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने पर करापवंचन का संदेह होने से वाहन को निरूद्ध किया गया। तत्पश्चात कारण बताओं नोटिस जारी किया। पालना में वाहन चालक द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वाहन को छोड़ने हेतु निवेदन किया व वाहन को गुजरात की जांच चौकी पर नहीं रोकने तथा दस्तावेजों पर चैक पोस्ट की मोहर नहीं लगवाने के संबंध में मानवीय भूल होने संबंधी बयान किया। जांच अधिकारी ने उक्त संबंध में उपायुक्त,वाणिज्यिक कर विभाग, गुजरात से इस तथ्य की पुष्टि की गयी कि परिवहनित माल कपासिया को गुजरात राज्य में जांच चौकी पर जांच के संबंध में किसी प्रकार की कोई छूट प्राप्त नहीं है व हस्तलिखित घोषणा प्रारूप–402 मान्य नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन होने के कारण प्रकरण को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपायुक्त(प्रशासन) के आदेशानुसार कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने इस कृत्य को करापवंचित होना मानते हुए, कारण बताओ

2m

लगातार.............2

नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से श्री सुनील कुमार ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर, कर निर्धारण अधिकारी ने माल कीमतन रू0 5,34,245/– पर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रू0 1,60,274/– अपने आदेश दिनांक 02.10.2014 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने निणर्य दिनांक 1409.2015 द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन किय एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने बहस के दौरान कथन किया कि अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत परिवहनित माल से संबंधित समस्त दस्तावेज वक्त चैकिंग मौजूद थे। प्रत्यर्थी व्यवहारी की कोई करापवंचन की मंशा नहीं थी। कर निर्धारण अधिकारी ने बिना विस्तृत जांच किये ही शास्ति आरोपित की जो विधिसम्मत नहीं है। जहां तक गुजरात राज्य के घोषणा प्रपत्र के हस्तलिखित होने का प्रश्न है, उक्त दस्तावेज राजस्थान राज्य से संबंधित नहीं था। उक्त आधार पर करापवंचन का कृत्य अवधारित करना विधिसम्मत नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में (2011) 29 टैक्स अपडेट 136, 45 टैक्स अपडेट 466 आदि न्यायिक दृष्टान्त का हवाला देते हुए, राजस्व की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार हैः–

6. विचाराधीन प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गुजरत राज्य के घोषणा प्रपत्र हस्तलिखित होने के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन करना अवधारित किया गया है

अधिनियम की धारा 76(6) के प्रावधानानुसार धारा 76(2) के अनुसार विहित दस्तावेज नहीं होने अथवा प्रस्तुत दस्तावेजों के मिथ्या और कूटरचित होने की दशा में ही शास्ति आरोपित की जा सकती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस में इन परिस्थितियों का कही भी कोई उल्लेख नही किया है। इस संबंध में विधिक आवश्यकतानुसार बिल, बिल्टी आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। जॉच अधिकारी/कर निर्धारण अधिकारी ने इसे मिथ्या/झूठा साबित किये बिना ही शास्ति आरोपण करने में विधिक भूल की है। प्रस्तुत दस्तावेजों को सत्यापित करवाये जाने का उल्लेख है, उक्त दस्तावेजों की कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं कर , गुजरात राज्य के प्रपत्र 402 के हस्तलिखित होने व गुजरात राज्य की जांच चौकी की मोहर अंकित नहीं होने को आधार पर दस्तावजो को मिथ्या अथवा कूटरचित होना अवधारित कर कार्यवाही किया जाना अनुचित एवं अविधिक है क्योंकि उक्त समस्त तथ्य राजस्थान राज्य के क्षेत्राधिकार में नही है। कर अधिकारी ने करापवंचन का दोषी मनोभाव भी प्रमाणित नहीं

लगातार.....3

किया है। बिना किसी ठोस आधार के प्रत्यर्थी के विरूद्ध शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अपीलीय अधिकारी ने विस्तृत विवेचन करने के पश्चात ही शास्ति को अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से, अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार होने योग्य है।

7. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 14.09.2015 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य